

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

सीसीएमएस नं. 2024/115  
मुकदमा नम्बर 27/2024

दर्ज दिनांक- 06.03.2024.

शरद कंवर पत्नी भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
-आवेदक

वनाम  
राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़  
-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री नरेन्द्र सिंह जाखल एड.  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 13.06.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन में भूमि खाता सं. नया 506 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.350 है०, खसरा नं. 1480/126 रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.1550 है० के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सदा कंवर पत्नी स्व. भगवान सिंह की जगह शरद कंवर पत्नी स्व. भगवान सिंह दर्ज किया जाये।


अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की ओर से जरिये पैरा. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1120 दिनांक 04/04/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन में भूमि खाता सं. नया 506 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.350 है०, खसरा नं. 1480/126 रकबा 1.12 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.1550 है० के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सदा कंवर पत्नी स्व. भगवान सिंह की जगह शरद कंवर पत्नी स्व. भगवान सिंह दुरुस्त व दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जय सिंह)RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू